राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3,सुरक्षा) विभाग

क्रमांक : प. 10(90)कार्मिक/ख–3/सु./80 दिनांक: 07 FEB 2013

::परिपत्र::

शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य स्थान होने से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी परिपत्रों में माननीय मंत्रीगण/अधिकारीगण से मिलने का समय दोपहर 2:30 बजे से निर्धारित होने के कारण आगन्तुकों को स्वागत कक्ष द्वारा दोपहर 2:00 बजे से प्रवेश पत्र जारी किये जाते हैं। प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग द्वारा आमजन के परिवादों का त्वरित गति से समाधान करने के सम्बन्ध में सभी अधिकारिगण को भविष्य में प्रत्येक कार्यदिवस को अपरान्ह 2:00 बजे से 3:00 बजे तक का समय जन सुनवाई के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त निर्देशों की अनुपालना में शासन सचिवालय में आने वाले आगन्तुकों को दोपहर 2:00 बजे के स्थान पर दोपहर 1:00 बजे से प्रवेश पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। अतः सचिवालय में जन सुनवाई हेतु आने वाले आगन्तुकों को दोपहर 2:00 बजे के स्थान पर दोपहर 1:00 बजे से प्रवेश पत्र जारी किये जावेंगे।

यह परिपत्र इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए जारी किया जा रहा हैं।

5.2.2013
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय/ मुख्य सचिव, राजस्थान , जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण /संसदीय सचिवगण ।
3. निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य मंत्री सुरक्षा एवं विजिलेन्स ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ।
6. समस्त शासन उप सचिव ।
7. उप निदेशक,सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय ।
8. नोटिस बोर्ड ।

(गोविन्द नारायण गुप्ता)
शासन उप सचिव